न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–28/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/73)

1. कजोड़ पुत्र मन्ना, जाति मीना, उम्र 70 वर्ष, निवासी ग्राम हामावास तहसील राहूवास जिला दौसा राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

1. भरतलाल,
2. हनुमान, पि0 कन्हैयालाल जाति मीना निवासी ग्राम हामावास तहसील राहूवास जिला दौसा राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राहूवास जिला दौसा

—रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री भगवान सहाय शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री राजीव शर्मा एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 की ओर से**

निर्णय

दिनांक 22.05.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं उनकी माता जी द्वारा अपीलार्थी को बिना पक्षकार बनाये अपनी आराजी खसरा नम्बर 30 रकबा 0.3000 हैक्टयर भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को बिना पक्षकार बनाये ही प्रस्तुत किया गया जबकि अपीलार्थी उक्त खसरा नम्बर 30 की सीमाजोड़ पर स्थित आराजी खसरा नम्बर 31 का रिकार्डेड काबिज काश्त खातेदार है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को कोई समुचित सुनवाई का अवसर नही दिया तथा मनमर्जी से बिना मौका जॉच किये ही रेस्पोडेन्ट से मिलीभगत कर गलत प्रकार से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.11.2022 पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष महिला प्रार्थी संख्या 1 रामौती की दिनांक 03.11.2022 को मृत्यु हो चुकी थी किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस बारे में कोई जानकारी नही दी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया संख्या 1 के विधिक वारिसान को बिना रिकार्ड पर लिये ही मृतक प्रार्थीया संख्या 1 की उपस्थिति मानते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.11.2022 पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आराजी खसरा नम्बर 30 रकबा 0.3000 हैक्टयर वाके ग्राम हामावास तहसील राहूवास जिला दौसा बाबत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा जिला दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 15/22 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2022 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 30 रकबा 0.3000

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

हैक्टयर वाके ग्राम हामावास तहसील राहूवास जिला दौसा में स्थित है। उक्त आराजी से किसी भी दीगर व्यक्ति या संस्था का किसी भी प्रकार से कोई लेना–देना या सम्बन्ध व सरोकार, वास्ता नही है तथा रेस्पोडेन्ट की उक्त भूमि खसरा नम्बर 30 रकबा 0.3000 हैक्टयर का सीमाज्ञान व पत्थरगढी नही होने से पड़ौसी खातेदारान द्वारा रेस्पोडेन्ट के खेतों की सीमाओं को लेकर आये दिन हैरान व परेशान करते है। जिसका उन्हे किसी प्रकार का कोई हक अधिकार हांसिल नही है। उन्होने यह भी कथन किया है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने के कानूनन अधिकार प्रदत्त है और रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने उन्हे अधिकारों के तहत ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 128 भू राजस्व अधिनियम पेश किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर एवं प्रकरण के परीक्षण उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2022 पारित किया गया है जो विधि सम्मत होने से अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि अपीलार्थी आराजी खसरा नम्बर 31 को स्वयं का होना कथन कर अपील में आये है तथा आराजी खसरा नम्बर 30 रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की भूमि है जिसके सम्बन्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 में स्वयं यह कहकर आये है कि पडौसी खातेदारान से आये दिन खेतों की सीमाओं को लेकर हैरान व परेशान करते है, साथ ही तहसीलदार राहूवास ने अपने पत्रांक 1423 दिनांक 11.10.2022 द्वारा मौके पर विवाद होने की संभावना एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के खसरा नम्बर 30 की भूमि का सीमाज्ञान नही होना अंकित किया गया है जबकि कानूनन तो सीमाज्ञान के पश्चात् ही पत्थरगढी की कार्यवाही संभव होती है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आ जाने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा द्वारा प्रकरण में बिना समरी जॉच किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2022 पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधिवत सीमाज्ञान पश्चात् समरी जॉच कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।